न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—521/2015/225 आर.टी.एक्ट (2015/00220)

1. श्रीमती केशर पुत्री भूरा पत्नि उदा गुर्जर निवासी छापरी तहसील सरवाड जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. सांवरलाल पुत्र स्व0 श्रीमती कमला पत्नि स्व0 श्री रामकिशन कौम गुर्जर निवासी कांदोलाई तहसील भिनाय जिला अजमेर।
2. सीमा पुत्री स्व0 श्रीमती कमला पत्नि श्री रामकिशन गुर्जर निवासी कांदोलाई तहसील भिनाय जिला अजमेर।
3. नायब तहसीलदार, कादेडा उप तहसील कादेडा जिला अजमेर।
4. उप—पंजीयक उप तहसील कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 29.09.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी राजस्व वाद संख्या 123/2015

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मंगलाराम चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3, 4
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—28.07.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 123/2015 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 209, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 के विरूद्ध पेश किया एवं साथ ही धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में उभयपक्षकारन की बहस पर मनन करते हुए प्रार्थीया/अपीलांट को पाबंद करने का आदेश दिनांक 29.9.2015 को पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 123/2015 में पारित आदेश

दिनांक 29.09.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया द्वारा अपना अभिभाषक नियुक्त किया गया था जिन्होंने प्रार्थीया को प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में आने से मना कर रखा था तथा आवश्यकता होने पर सूचित करने हेतु आश्वस्त कर रखा था इसलिए प्रार्थीया प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होती थी किन्तु जब दिनांक 12.12.2015 को प्रार्थीया अपने वकील साहब से मिली तो उन्होंने कहा कि प्रकरण का निर्णय तो दिनांक 29.9.2015 को ही तुम्हारे विरूद्ध हो चुका है जिसके विरूद्ध न्यायालय में चाराजोही करने की सलाह दी तथा उनके द्वारा ली गई नकल एवं पत्रावली प्रार्थीया को प्रदान की। जिस पर प्रार्थीया अविलम्ब अपना नया अधिवक्ता नियुक्त कर उक्त अपील न्यायालय में पेश कर रही है। अपील प्रस्तुती में हुई उक्त सदभाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को अन्दर मियाद शुमार करते हुए गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते

हैं। अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया कि विपक्षी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वाद संधारण योग्य नहीं है क्योंकि सांवरलाल (वादी) जो कि अपने आप को कमला का पुत्र बताता है उसको दावा लाने का अधिकार नही है क्योंकि कमला के जीवित रहते उसने अपने तथाकथित पिता श्री भूरा गुर्जर के विरूद्ध कमला ने कोई उज्र एतराज नहीं उठाया तो कमला के तथाकथित वारिस को दावा करने का कोई अधिकार नहीं है तो ऐसी स्थिति जब दावा ही मेन्टेनेबल नहीं है तो धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के तहत एव रिकार्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता है। विपक्षी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का विवादित आराजी मुतनाजा पर कोई कब्जा, काश्त नहीं है जो बिना कब्जे के विपक्षी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती थी फिर भी उपरोक्त बिन्दु को नजरन्दाज करते हुए जो निर्णय पारित किया है वह काबिल निरस्तनीय है। विपक्षी का विवादित आराजी मुतनाजा पर कोई कब्जा नहीं है और न ही विवादित आराजी मुतनाजा का रेवेन्यु रिकार्ड में कोई नाम दर्ज है न ही विपक्षी का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है इसके बावजूद भी अपीलांट को पांबद करने का जो आदेश पारित किया है वह धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के विपरीत जाकर अपने में निहित क्षेत्राधिकार से परे जाकर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि उनके द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह एक तरह से दावे को निर्णित करने जैसा आदेश पारित किया है चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विपक्षी द्वारा दो व्यक्तियों के शपथ पत्र को आधार बनाये हुए जो निर्णय पारित किया है वह काबिल निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 123/2015 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2015 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 4 की संयुक्त कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य मालिकाना हक अधिकार की अपनी माता की पुश्तैनी आराजीयात जो कि वाके ग्राम तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 4 के नाना स्व0 श्री लादू पुत्र भूरा गुर्जर ने वाद वर्णित आराजीयात को स्वयं की खरीदशुदा आराजीयात है, एवं उपरोक्त वाद वर्णित आराजीयात में प्रार्थी की मां कमला एक मात्र वारिस है। प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 4 के नाना स्व0 श्री लादू पुत्र भूरा गुर्जर का देहांत दिनांक 7.5.2007 का हो गया था एवं प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी 4 की माता श्रीमती कमला का देहांत दिनांक 16.6.2003 को हो गया था। तब से उक्त वाद वर्णित आराजीयात बतौर वारिस प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 4 के कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य में चली आ रही है। प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 4 की उपरोक्त वाद वर्णित पुश्तैनी आराजीयात है जिसमें प्रार्थी व

प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 4 का प्रत्येक का 1/2 हिस्सा है एवं प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 4 अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 का किसी प्रकार वादग्रस्त आराजीयात में कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी 4 की माता स्व0 श्री कमला की पुश्तैनी आराजीयात को अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत करके लादू गुर्जर को नाऔलाद फौत बताकर राजस्व रिकार्ड में नामांतरकरण संख्या 195 दिनांक 5.6.2007 को जरिए विरासत संपूर्ण खाते को अपने नाम दर्ज करवा लिया। प्रार्थी ने अपनी पुश्तैनी वाद वर्णित आराजीयात को अपने नाम दुरूस्त करवाने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परंतु अप्रार्थी संख्या 2 ने किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जिससे यह प्रकरण प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

9. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी/अपीलांट को ताफैसला मूल वाद तक जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने का आदेश दिनांक 29.9. 2015 को पारित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या नया 123 पुराना 117 के खसरा नम्बर 2473, 2476, 2478, 2486, 2487 वाकै मौजा जंगल प्रान्हेडा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित चौसाला जमाबंदी संवत 2069 से 2072 कुल किता 5 कुल रकबा 1.05 जो कि केशर पुत्री भूरा कौम गुर्जर/अपीलांट साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से सजरा प्रस्तुत किया गया है कि भूरा का पुत्र लादूराम, मेवालाल व पुत्री केसर है। चूंकि उक्त प्रकरण में वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा भी सजरा प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार लादूराम की एकमात्र पुत्री कमला थी तथा कमला के एक पुत्र सांवरलाल व एक पुत्री सीमा है जो प्रस्तुत प्रकरण में क्रमशः रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 है। पत्रावली पर लादूराम का मृत्यु प्रमाण पत्र भी उपलब्ध है जिसके अनुसार लादूराम की मृत्यु 7.5.2007 व कमला का मृत्यु प्रमाण पत्र जिसके अनुसार उसकी मृत्यु दिनांक 16.6.2003 को होना पाया जाता है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा व ना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिए दस्तावेजात के यह प्रमाणित किया गया है कि लादूराम नाऔलाद फौत हुआ था व कमला उसकी पुत्री नहीं है यह वह कहीं पर भी साबित नहीं कर पाए है। चूंकि उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें बाद शहादत मूल वाद का निस्तारण होना शेष है कि उक्त विवादित आराजीयात पर किस पक्ष का हक अधिकार निहित है यह प्रकरण के मूल निस्तारण के पश्चात तय होगा। जब तक उक्त विवादित आराजीयात को संरक्षित किया जाना न्यायालय हाजा का दायित्व है, क्यों कि यदि अपीलांट को

अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वर्तमान रेस्पोडेंट के हक अधिकार प्रभावित हो सकते है व आराजीयात को रहन, बय, मुंतकिल किए जाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। यदि अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो प्रकरण में अनावश्यक वाद बहुलता बढने की संभावना है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को वह दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित कर पाने में विफल रहे है। वर्तमान प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनों बिंदु अपीलांट के बजाय वर्तमान रेस्पोडेंट के हक में बखूबी साबित होते है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किसी प्रकार की विधिक अथवा तकनीकि त्रुटि कारित नहीं हुई है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्याय संगत निर्णय पारित किया गया है, जिसमें हाजा न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 123/2015 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2015 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर